बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अनुसूची–1

अधिसूचना

बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023

संख्या–06 / चार्जिंग स्टेशन–09–29 / 2021 / पटना, दिनांक.....

1. प्रस्तावना / परिचय

जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि तथा परिवेशीय प्रदूषण के आलोक में इलेक्ट्रिक गतिशीलता की ओर अग्रसर होना आशाजनक वैश्विक रणनीति है। इलेक्ट्रिक / बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होंगे यथा– पर्यावरण की अनुकूलता, वायु गुणवत्ता में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, आवृत्ति व्यय में कमी तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षा।

समकक्ष इन्टर्नल कम्बशन इंजन (ICE) की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन निम्नांकित कारणों से अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं :–

(क) कम ऊँचाई एवं बैट्री के घनत्व के कारण गुरूत्वाकर्षण का केन्द्र निम्नतर होना।

(ख) ICE की तुलना में विद्युत मोटर के कम जगह लेने के कारण अग्र क्रम्पल क्षेत्र में वृद्धि।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक कुल नए वाहनों में कम–से–कम 30% इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान EV 30@30 को सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इलेक्ट्रिक वाहन प्रक्षेत्र में, हाल के तकनीकी–आर्थिक विकास और बिहार के नागरिकों द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्साहपूर्ण स्वीकार्यता के आधार पर राज्य सरकार इलेक्ट्रिक वाहन तथा इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन को प्रोत्साहित करने के लिए **'बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023'** का सूत्रण करती है। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों तक के लिए होगी।

2. परिभाषाएँ

(i) 'सरकार' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित नहीं किया जाय।

(ii) 'राज्य' से अभिप्रेत है बिहार राज्य।

(iii) 'नीति' से अभिप्रेत है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023।

(iv) 'इलेक्ट्रिक वाहन' से अभिप्रेत है वैसे वाहन जिन्हें मात्र इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती हो, जिनमें ट्रैक्शन उर्जा (कर्षण उर्जा) वाहन में अवस्थित ट्रैक्शन बैट्री से ही उपलब्ध हो एवं जिसमें इलेक्ट्रिक पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम हो।

इसमें भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिभाषित सभी प्रकार के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन सम्मिलित हैं।

(v) 'आइ.सी.इ' से अभिप्रेत है आन्तरिक दहन इंजन।

(vi) 'FAME-II' से अभिप्रेत है भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicles in India, योजना एवं उसमें समय–समय पर किए गए संशोधन।

(vii) 'इलेक्ट्रिक चार्जर':– इलेक्ट्रिक चार्जर, जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्त्ति उपकरण भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिक वाहन आधारभूत संरचना में एक उपकरण है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए विद्युत उर्जा प्रदान करता है।

(viii) 'सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन' (PCS) में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, संबद्ध विद्युत आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित) वाहनों का प्रवेश एवं निकास एवं आमजनों के लिए खुली (अप्रतिबंधित) पहुँच हो। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में किसी इलेक्ट्रिक वाहन उपयोगकर्ता के लिए उपयोग की कोई सीमा निर्धारित नहीं हो। उदाहरण स्वरूप सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन में मात्र अंशदान के ही आधार पर सेवा प्रदान करने तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

(ix) 'अर्द्ध सार्वजनिक स्टेशन' में समाहित है चार्जिंग स्टेशन, सम्बद्ध विद्युतीय आधारभूत संरचना, पार्किंग क्षेत्र (निकास सहित), वाहनों के लिए प्रवेश एवं निकास हो एवं आमजनों के लिए सीमित पहुँच हो (अर्द्ध सार्वजनिक स्थलों यथा व्यावसायिक तथा सांस्थिक भवन, मॉल, शॉपिंग कम्पलेक्स, अस्पताल, चलचित्रगृह/मल्टीप्लेक्स, कार्यालय परिसर, होटल, रेस्टोरेन्ट इत्यादि)।

(x) 'ए.सी.' से अभिप्रेत है अल्टरनेट करेन्ट।

(xi) 'डी.सी.' से अभिप्रेत है, डायरेक्ट करेन्ट।

(xii) 'सी.सी.एस.' से अभिप्रेत है, संयुक्त चार्जिंग उपकरण।

(xiii) 'CHAdeMo' से अभिप्रेत है, चार्ज–डी–मूव।

(xiv) 'इ.सी.एस.' से अभिप्रेत है, समतुल्य कार पार्किंग क्षेत्र।

3. <u>उद्देश्य</u>

3.1 इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन पारिस्थितिकी के विकास के लिए बिहार को एक आदर्श राज्य बनाना।

3.2 इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की एक मजबूत और सुलभ आधारभूत संरचना राज्य में विकसित करना।

3.3 इलेक्ट्रिक गतिशीलता तथा संबद्ध सहयोगी प्रक्षेत्र, यथा आँकड़ा विश्लेषण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए स्टार्टअप और निवेश को प्रोत्साहित करना।

3.4 वायु प्रदूषण में कमी कर वातावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना।

4. मिशन

एक दीर्घकालिक परिवहन पारिस्थितिकी का विकास करना, जो 2028 तक अधिक–से–अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता पर केन्द्रित हो।

5. लक्ष्य

यह सुनिश्चित करना कि 2028 तक बिहार राज्य में क्रय और निबंधन होने वाले नए वाहनों में से 15% इलेक्ट्रिक वाहन हों।

6. विस्तार और पात्रता

6.1 "**बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023**" अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से पाँच वर्षों तक प्रभावी रहेगी।

6.2 इस नीति के अंतर्गत दिये जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन, भारत सरकार की FAME-II योजना एवं अन्य किसी संशोधन के माध्यम से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त होंगे।

6.3 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए देय प्रोत्साहन राशि, उन चार्जिंग स्टेशनों को देय होगी जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत वर्तमान दिशा निर्देशों तथा मापदंडों को पूर्ण करते हों।

6.4 उद्योग विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या–1937/पटना, दिनांक–27.12.2017 द्वारा अधिसूचित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण एवं संबंधित कार्य को उच्च प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।

7. इलेक्ट्रिक **वाहनों के त्वरित ग्राहयता (adoption)** के लिए **प्रोत्साहन**

7.1 इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन

(i) क्रय प्रोत्साहन राशि 5,000/– रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 10,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 7,500 रूपए प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iii) प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात् बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के अंतर्गत अधिकृत सेवा प्रदात्ताओं को अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40%

इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन उनके दुपहिया वाहनों के बेडा में शामिल करने होंगे। इस नीति का अनुपालन नही करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7.2 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्रीवाहक)

(i) इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (यात्रीवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (यात्रीवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.3 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (मालवाहक)

(i) इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन (मालवाहक) के बिहार राज्य में क्रय एवं निबधन पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित सभी नए तिपहिया वाहनों (मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.4 इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन

(i) क्रय प्रोत्साहन राशि 10,000/– रूपए प्रति KWH बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1,000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 1,50,000 रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए एवं अन्य वर्ग के लिए 1,25,000 रूपए प्रति वाहन इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर मे 75% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iii) प्रथम 1000 चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन के पश्चात् बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटर वाहन कर में 50% की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(iv) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश, 2019 के अन्तर्गत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की प्रथम दो वर्षों तक न्यूनतम 20% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन, तृतीय वर्ष की समाप्ति तक 40% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन तथा चौथे वर्ष की समाप्ति तक 50% इलेक्ट्रिक चारपहिया वाहन उनके बेड़ा में शामिल करना होगा। इस नीति का अनुपालन नहीं करने पर सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिसम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

(v) बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन निदेश, 2019 के तहत सभी अनुज्ञप्तिधारक एग्रीगेटरों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान करते हुए 2028 तक अधिकतम चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन के लिए प्रेरित किया जायेगा।

7.5 हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (मालवाहक)

(i) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित हल्के इलेक्ट्रिक वाहन (मालवाहक) पर 50% की मोटरवाहन कर में छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

(ii) बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक हल्के मालवाहक वाहन को सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.6 भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक)

(i) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित नए इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) के लिए मोटर वाहन कर में 75% की छूट अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के शुरूआत के दो वर्षों में दी जाएगी।

(ii) बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि के दो वर्ष के पश्चात् मोटर वाहन कर में 50% की छूट देय होगी।

(iii) बिहार में क्रय एवं निबंधित सभी इलेक्ट्रिक भारी मोटर वाहन (बस तथा मालवाहक) को सड़क परिवहन और राजमार्ग मत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किये गये प्रावधानों के आलोक में, परमिट शुल्क में अनुमान्य छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में प्रदान की जायेगी।

7.7 सभी प्रकार के वाहनों के लिए सामान्य प्रावधान

(i) बिहार राज्य में क्रय किये एवं निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहनों के वाहन स्वामी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना के अनुसार अपने पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के भी पात्र होंगे।

(ii) ऊपर वर्णित सभी प्रकार के बिहार राज्य में क्रय किये एंव निबंधित किये गये इलेक्ट्रिक वाहन के लिए प्रोत्साहन, FAME India के अन्तर्गत प्रत्येक कोटि के इलेक्ट्रिक वाहन की तकनीकी परिभाषा को पूर्ण करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को देय होगा।

(iii) सार्वजनिक पार्किंगः– नगरीय एवं अन्य प्राधिकार द्वारा सभी व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अनुदानित दर पर पार्किंग की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रत्येक नगर/शहर द्वारा सिटी पार्किंग प्लान तैयार कर अनुदानित दर पर इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑन स्ट्रीट पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन का प्रावधान किया जाएगा।

(iv) लाभार्थी राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजना के तहत एक से अधिक समरूप प्रोत्साहन का दावा करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

8. चार्जिंग स्टेशन आधारभूत संरचना

8.1 चार्जर का प्रकार एवं प्रोत्साहन

चार्जिंग की आधारभूत संरचना की उपलब्धता, इलेक्ट्रिक वाहनों की ग्राहयता की कुंजी है। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सुलभ इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराना इस नीति का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु सरकार द्वारा राज्य में सार्वजनिक एवं निजी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। सभी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन पर प्रोत्साहन राशि तीन वर्षों तक ही देय होगी।

ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार निम्नांकित कोटि के चार्जर चार्जिंग स्टेशनों पर स्थापित किए जा सकते हैं एवं इस हेतु कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि निम्न होगीः–

कोटि–1: इलेक्ट्रिक वाहन –ए0सी0 चार्जर (3-Guns) धीमा/मध्यम चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 600 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 10,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–2: इलेक्ट्रिक वाहन–ए0सी0 चार्जर (2-Guns) तेज चार्जरः

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–3 : इलेक्ट्रिक वाहन–डी0सी0 चार्जर (2-Guns) धीमा/मध्यम चार्जर:

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 75% तथा 25,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 1,50,000/– रू0 ही देय होगा।

कोटि–4 : सी0सी0एस0/CHAdeMO चार्जर (2-Guns) तेज चार्जर:

- **प्रोत्साहन** : प्रथम 60 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण/मशीन के क्रय पर 50% तथा 1,00,000/– रू0 अधिष्ठापन मूल्य (भूमि का मूल्य छोड़कर) अनुदान के रूप में दिया जायेगा, परन्तु कुल मिलाकर अधिकतम 10,00,000/– रू0 ही देय होगा।

9. संचालन मॉडल

भू– स्वामित्व, स्थापना का प्रकार, संचालन, संधारण तथा उपयोग के आधार पर राज्य में चार्जिंग स्टेशन के निम्नांकित मॉडल क्रियान्वित किए जाएँगे:–

9.1 निजी चार्जिंग स्टेशन

आवासीय भवनों के स्वामियों/आवासीय कल्याण संघों/सहकारी गृह निर्माण समितियों द्वारा निजी प्रयोजन हेतु स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी आवासीय भवनों के स्वामी/आवासीय कल्याण संघ/सरकारी गृह निर्माण समितियाँ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) के लिए चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को कम–से–कम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में वर्णित शर्तों के अधीन कोटि–1 के अनुरूप प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

9.2 अर्द्ध सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन

गैर आवासीय भवनों के स्वामियों के निजी एवं व्यवसायिक उपयोग के लिए स्थापित चार्जिंग स्टेशन।

सभी गैर आवासीय भवनों के स्वामी एवं बाजार संघ जिनके पास न्यूनतम 5 समतुल्य कार स्पेस (ECS) एवं 5 समतुल्य बाइक स्पेस चिन्हित पार्किंग क्षेत्र हो, को न्यूनतम एक भारत इलेक्ट्रिक वाहन ए0सी0 चार्जर (3-Guns) स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायेगा। विभाग द्वारा इस प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंडिका–8 में यथा वर्णित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी। इन स्थानों पर अधिष्ठापित अन्य चार्जरों के लिए भी कंडिका–8 में वर्णित शर्तों एवं कोटि के अनुसार प्रोत्साहन राशि देय होगी। हालाँकि किसी खास स्थान पर अधिकतम 5 (पाँच) EV चार्जर के लिए ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।